संख्या: 68 /VIII/04–सेवा0/टी.सी./2009

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक मदों में स्वीकृत धनराशि निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि **सेवायोजन प्रखण्ड** के अन्तर्गत अनुदान संख्या– 16, 30 एवं 31 में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की संलग्न–विवरणानुसार **आयोजनागत पक्ष में रूपये 25,06,000.00 (रू0 पच्चीस लाख छः हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 15,14,000.00 (रू0 पन्द्रह लाख चौदह हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आपके निवर्तन पर रखी जा रही है धनराशि को उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय किया जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– प्रश्नगत धनराशि लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही है।

4– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्रावधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

5– प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही

धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

6– प्रत्येक कार्यालय में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराते हुये शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

7– मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुये आवंटित धनराशि का सदुपयोग दिनांक 31 मार्च, 2010 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–16, 31 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आंवटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

9– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा रहा है ।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 68 /VIII/04–सेवा0/टी.सी./2009, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
3– वित्त अनुभाग–5
4– नियोजन विभाग
5– एन0आई0सी0, सचिवालय.
6– गार्ड फाइल।

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 68 (1)/VIII/04-सेवा0/टी सी/2009 दिनांक 6 जनवरी, 2010 का संलग्नक :-

अनुदान संख्या, 16 सेवायोजन प्रखण्ड धनराशि हजार रूपये में

(I) लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार

02–रोजगार सेवायें

001–निदेशन तथा प्रशासन

03 रोजगार संबंधी अधिष्ठान

क0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	500	1350
2	03–महगाई भत्ता	50	–
3	06–अन्य भत्ते	05	–
4	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	–	150
	योग:–	855	1500

(II) लेखाशीर्षक 2230– श्रम तथा रोजगार,

02– रोजगार सेवायें,

800– अन्य व्यय,

03–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछडे वर्ग हेतु)

क0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	1000	–
2	06–अन्य भत्ते	30	–
3	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	75	–
	योग:–	1105	–

अनुदान संख्या–30

(III) लेखाशीर्षक 2230– श्रम तथा रोजगार,

02– रोजगार सेवायें,

800– अन्य व्यय,

02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

0202– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना

क0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	700	–
	योग:–	700	–

अनुदान संख्या–31

(IV) लेखाशीर्षक 2230– श्रम तथा रोजगार,

02– रोजगार सेवायें,

796– ट्राइबल सबप्लान

01– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना

क0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	46	–
	योग:–	46	–

(V) लेखाशीर्षक: 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
796– ट्राइबल सबप्लान
02– कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	17–किराया समशुल्क और कर–स्थानित्व	–	14
	योग:–	–	14

आयोजनागत पक्ष :–रू0 25,06,000.00 (रू0 पच्चीस लाख छः हजार मात्र)
आयोजनेत्तर पक्ष :–रू0 15,14,000.00 (रू0 पन्द्रह लाख चौदह हजार मात्र)
महायोग :–रू0 40,20,000.00 (रू0 चालीस लाख बीस हजार मात्र)

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव